सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 दिसम्बर, 2016

टर्न-1/विजय/ 02.12.16

षोडश विधान सभा   02 दिसम्बर, 2016 ई0
-------------   शुक्रवार, तिथि   ------------------
चतुर्थ सत्र   11 अग्रहायण, 1938 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, बिहार में बड़े पैमाने पर गरीब-गुरबा बी.पी.एल....

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार,नेता,प्रतिपक्ष: अनुमति चाह रहे हैं महोदय, अनुमति चाह रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, कल आपके सामने ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: सत्यदेव जी एक-एक कर बोलिये न । नेता,प्रतिपक्ष, आप बोलिये ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, प्रतिपक्ष: अध्यक्ष महोदय, कल आपके सामने सदन में माननीय सदस्य सत्ताधारी दल के लोगों ने और माननीय मुख्यमंत्री बैठे हुए थे महोदय, सामने में माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भद्दी-भद्दी गालियां दी गई और उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई महोदय । कोई कार्रवाई नहीं हुई महोदय । हम आपसे आग्रह करते हैं महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने ...।

अध्यक्ष: वह सब निकाल दिया गया है, उसकी निंदा की गई है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, प्रतिपक्ष : जिन लोगों ने कल महोदय आपके सामने .... ।

अध्यक्ष: कार्रवाई की हुई है ।

श्री प्रेम कुमार,नेता, प्रतिपक्ष: अच्छा किया महोदय आपने लेकिन कल माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, सत्ताधारी दल के लोग जिस तरह से आचरण कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी को अमर्यादित भाषा में संबोधन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे । आपने महोदय कार्रवाई नहीं किया है । हम फिर महोदय आग्रह करेंगे उन विधायकों पर कार्रवाई हो, जिनके संबंध में कहने पर हमलोगों ने दिया था 29 तारीख को जिन विधायकों ने कांग्रेस, आर0जे0डी0 के लोगों ने अमर्यादित आचरण किया था, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, निंदा प्रस्ताव महोदय पास नहीं हुआ है और कल मुख्यमंत्री जी के सामने सत्ताधारी दल

के लोगों ने जिस तरह से अमर्यादित आचरण किया है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भद्दे-भद्दे नारे लगाने का काम किया है ।

अध्यक्ष: अब आप प्रेम बाबू बैठ जाइये, बैठ जाइये न ।

श्री प्रेम कुमार,नेता, प्रतिपक्ष: हम चाहते हैं कि ऐसे विधायकों पर कार्रवाई हो महोदय । पहली बार देखा जा रहा है महोदय कि सत्ताधारी दल सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहा है । विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस बिहार के लिए । जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वे विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं । इसलिए महोदय आपसे निवेदन हमारा है कि आप हमारी फरियाद को सुने, न्याय करें और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के उपर जो टिप्पणी हुई है, जिस तरह से लोगों ने अशोभनीय नारा लगाकर जिस तरह से मर्यादा को तार-तार करने का काम किया है, उनके खिलाफ महोदय आसन से निवेदन है, आग्रह आपसे है कि आप न्याय करें, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें । पुन: महोदय आग्रह हमारा है और हम आग्रह करते हैं महोदय कि जिस तरह की घटना घटी है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, सरकार के सामने और प्रधानमंत्री जी का विधान सभा में जिस तरह से अपमान किया गया है, भद्दी-भद्दी गालियां दी गयी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: प्रेम बाबू, आप एक मिनट बैठिये न । वीरेन्द्र जी, एक मिनट बैठ जाइये। अभी माननीय नेता, प्रतिपक्ष जो प्रधानमंत्री के संबंध में कोई भी अशोभनीय बात या नारे या गंदी बातें कहने की बात कर रहे हैं तो आसन ने तो कई बार नियमन दिया है । मैं फिर से कहता हूं कि प्रधानमंत्री या किसी सम्मानित नेता के बारे में, जो खासतौर से यहां नहीं हैं, केन्द्र सरकार या किसी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनके बारे में कोई भी असंसदीय, अशोभनीय बात कहने की इजाजत नहीं है । अगर किन्हीं ने कही है तो हमने उनको निकाल भी दिया, उसकी निंदा भी हमलोगों ने मिलकर की है । उसकी सब दिन निंदा की जाती रही है । इस तरह के आचरण से हम सभी बचें । किसी भी कोई भी दल के राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित नेता, जो यहां रहते भी नहीं हैं, उनके संबंध में कोई भी अभद्र टिप्पणी या किसी नारा की इजाजत प्रजातंत्र या संसदीय प्रणाली नहीं देता है । जो बातें कही गयी हैं, वह बिल्कुल अशोभनीय, असंसदीय है । हम सब ने मिलकर उसकी निंदा की । आगे भी सभी माननीय सदस्यों से इसकी अपेक्षा की जाती है कि जो नेता यहां नहीं हैं उनके बारे में कोई ऐसी बात गंदी बात, अशोभनीय बात, असंसदीय बात नहीं की जाय । इसलिए अब आप लोगों से आग्रह है कि गलत चीजों, गंदी चीजों की निंदा हम सबने मिलकर की है । अब सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग दीजिये । एक मिनट और सत्यदेव बाबू की बात कह देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता, प्रतिपक्ष : महोदय, आसन के लगातार निदेश के बावजूद आपने आदेश दिया था कि कोई सीढ़ी पर नहीं बैठेंगे, हमलोगों ने कहा कि नहीं बैठेंगे । अंदर में कहा महोदय कि आप अपनी सीमा में रहें, आपने कहा कि तख्ती लेकर नहीं आएं, आपके सभी आदेशों का हमारे एन.डी.ए. के साथियों ने पालन किया । सत्तारूढ़ दल के लोगों ने जिस तरह से आचरण किया हम कार्रवाई की मांग करते हैं महोदय । हमारा आग्रह है महोदय कि कार्रवाई कीजिये उनलोगों पर वे सुनने वाले नहीं हैं । जबतक कार्रवाई नहीं कीजियेगा, इनमें सुधार होने वाला नहीं है । इन घटनाओं की पुनरावृत्ति महोदय लगातार हो रही है । इसलिए महोदय आपसे प्रार्थना है, आग्रह है, निवेदन है कि आप कार्रवाई करें । आसन से हमारी उम्मीद है कि जिन विधायकों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की है, आप निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करें, यह हमारी अपेक्षा है आपसे आशा और उम्मीद है महोदय । हम नहीं चाहते हैं, सत्ताधारी दल के लोग जिस तरह सदन चलने नहीं देना चाहते हैं महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही 12.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-2/2.12.2016/बिपिन

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-

1. श्रीमती बेबी कुमारी, स0वि0स0
2. श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0
3. श्री मिथिलेश तिवारी, स0वि0स0
4. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0
5. श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0

आज सदन में सार्वजनिक हित के विषयों पर गैर सरकारी संकल्प का कार्य निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-47(ii) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण उपर्युक्त सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय, मैं जॉच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत् वैशाली जिला के लालगंज थानान्तर्गत ग्राम-अगरपुर में दिनांक-17/18.11.2015 को घटित विधि-व्यवस्था की समस्या और पुलिस फायरिंग की जॉच हेतु गठित जॉच आयोग का जॉच प्रतिवेदन तथा इस प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भा.ज.पा. के माननीय सदस्यगण वेल में आकर बोलने लगे)

अध्यक्ष : नियमानुकूल नहीं है, इसलिए अमान्य कर दिया है ।

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय, मैं जॉच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत् दिनांक-24.06.2013 को हुई बगहा पुलिस गोली चालन की घटना की जॉच हेतु गठित न्यायिक जॉच आयोग का प्रतिवेदन तथा इस प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय, मैं बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-17(2) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-84 एवं 85, दिनांक- 31.03.2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-17(2) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-84 एवं 85, दिनांक-31.03.2016 की प्रतियॉ सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी।

(व्यवधान)

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय, मैं बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9(4) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-265 एवं 266, दिनांक-07.10.2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम,1993 की धारा-9(4) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-265 एवं 266, दिनांक-07.10.2016 की प्रतियॉ सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय, मैं बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-20(2) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-267 एवं 268, दिनांक-07.10.2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-20(2) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-267 एवं 268, दिनांक-07.10.2016 की प्रतियॉ सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय, मैं बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-93(3) एवं 99 के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-155, 156, दिनांक 17.06.2016; 2384, दिनांक-29.06.2016; 3055, दिनांक-10.08.2016; एस0ओ0-184, 185 दिनांक-10.08. 2016; एस0ओ0-242, 243, 244, 245, 246, 247, दिनांक-28.09.2016; एस0ओ0-275, 276, 277 एवं 278, दिनांक-07.10.2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-93(3) एवं 99 के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-155, 156, दिनांक 17.06.2016; 2384, दिनांक-29. 06.2016; 3055, दिनांक-10.08.2016; एस0ओ0-184, 185 दिनांक-10.08.2016; एस0ओ0-242, 243, 244, 245, 246, 247, दिनांक-28.09.2016; एस0ओ0-275, 276, 277 एवं 278, दिनांक-07.10.2016 की प्रतियाँ सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय, मैं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के तहत् बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना का वित्तीय वर्ष 2012-13 का वार्षिक लेखा की प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय, मैं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-62(4) के तहत् बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) नियमावली, 2005 में हुए संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-238, दिनांक-27 सितम्बर, 2016 की प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

माननीय प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय, मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(2) के तहत बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य)(संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत मैं राजकीय आश्वासन समिति का 240वॉं एवं 241वॉं प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव: श्रीमान्, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 67 याचिकाएँ प्राप्त हुई हैं ।

(व्यवधान)

समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

षोडश बिहार विधान सभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 25 नवम्बर, 2016 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 02 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल 06 (छः) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 को महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23.08.2016 को दोनों सदनों के पुनर्विचार हेतु संदेश के साथ वापस किया गया, जिसे आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया । बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 08 (आठ) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । सत्र के दौरान कुल 08 (आठ) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं कानपुर के पुखरायां में हुए ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई तथा शेष मांग गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुआ।

राजकीय विधेयकों में यथा (1) बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक,2016, (2) बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) (निरसन) विधेयक,2016, (3) बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन)विधेयक, 2016 (4) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,

2016, (5) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 एवं (6) विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

सत्र के दौरान कुल 932 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 736 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 10 अल्पसूचित प्रश्न, 600 तारांकित प्रश्न एवं 126 अतारांकित थे । सदन में उत्तरित प्रश्नों को संख्या-38, सदन पटल पर रखे गये प्रश्नोत्तर-64, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-05, अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या 07 एवं 622 प्रश्न अनातग हुए ।

इस सत्र में कुल 177 निवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 168 स्वीकृत हुए एवं 09 अस्वीकृत हुए । कुल 80 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 67 स्वीकृत एवं 13 अस्वीकृत हुई।

क्रमश :

टर्न : 03/कृष्ण/ 02.12.2016

अध्यक्ष : क्रमश : इस सत्र में कुल 147 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 10 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 135 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 02 अमान्य हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा सीधा प्रसारण किया गया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इस कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

*****